

अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश:

1. अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी एक स्वअभिप्रमाणित प्रति अपने साथ अवश्य लायें। (क) मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से सभी शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यताओं (10वीं स्तर एवं उपर) के अंक पत्र/प्रमाण पत्र (ख) जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (10वीं या मैट्रिक) (ग) अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। अ.पि.व. के अभ्यर्थी के लिए भारत सरकार के अधीन सेवाओं के लिए लागू जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर की स्थिति दर्शाई गई हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अभाव में उन्हें अ.पि.व. की रिक्तियों का लाभ नहीं दिया जाएगा। (घ) दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। (ङ.) सीबीटी परीक्षा के प्रवेश पत्र की आधी प्रति एवं सहायक लोको पायलट तथा सहायक स्टेशन मास्टर के अभ्यर्थियों को सीबीटी परीक्षा के प्रवेश पत्र की आधी प्रति भी साथ लाना होगा। (च) एक ही प्रकार के हाल के ही चार फोटो।
2. दस्तावेज सत्यापन केन्द्र/सत्यापन की तिथि/समय में परिवर्तन करने हेतु किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति या अभ्यर्थिता निरस्तीकरण इत्यादि का ध्यान रखते हुए समुदायवार अधिसूचित रिक्तियों के वास्तविक संख्या से 50 प्रतिशत अधिक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जा रहे हैं जिसका मूल उद्देश्य यह है कि अंतिम स्तर पर अपूर्ण नामिका की स्थिति से बचा जा सके। अतः दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सकीय जांच के लिए किसी अभ्यर्थी को बुलाने मात्र से ही किसी भी प्रकार उसे नामिकाबद्ध होने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। नामिका का आकार रिक्तियों की संख्या के बराबर होगा जो पूर्ण रूप से सीबीटी परीक्षा के मेधा पर आधारित होगा। ALP तथा ASM के मामले में CBT एवं CBAT के सम्मिलित मेधा पर आधारित होगा। इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिये कि अनारक्षित मेधा के 50 प्रतिशत अतिरिक्त अभ्यर्थी यदि अनारक्षित मेधा में नामिकाबद्ध नहीं होते हैं तो वे अपने समुदायवार मेधा के शीर्ष पर जाएंगे। अतः अ.पि.व./अ.जा/अ.ज.जा. कोटि के मुख्य मेधा के भी उतने अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकेंगे जितने अभ्यर्थी 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनारक्षित मेधा से अपने-अपने समुदायों के मेधा में जाएंगे।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही पाये जाते हैं उन्हें निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के लिए अगले कार्य दिवस को दानापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडलों के रेलवे अस्पतालों में भेजा जाएगा। इसके लिए उन्हें एक या अधिक दिन अपने खर्च पर रुकने के लिए तैयार होकर आना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी वांछित चिकित्सकीय श्रेणी में योग्य नहीं पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
5. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि इत्यादि में न हो। त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के कारण उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
6. अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाने पर या आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गयी घोषणा गलत अथवा अपूर्ण पाए जाने पर उनकी पात्रता समाप्त करने अथवा नियुक्ति हो जाने पर भी उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार रेल प्रशासन को है।
7. किसी भी प्रकार की सिफारिश किए जाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
8. अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के कदाचार यथा पररूपधारण में लिप्त पाए जाने पर अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा साथ ही कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
9. अभ्यर्थियों का अंतिम चयन उनकी पहचान की सत्यता, सभी मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच एवं पदों के लिए निर्धारित सभी मापदंडों चिकित्सकीय जांच सहीत को पूरा करने के अधिन होगा। चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची सीबीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा। ALP तथा ASM के मामले में CBT एवं CBAT के सम्मिलित मेधा पर आधारित होगा।
10. नामिका में आने की स्थिति में अभ्यर्थी को प्रशासनिक आवश्यकतानुसार पूर्व मध्य रेल के किसी भी मंडल में पदस्थापित किया जा सकता है।
11. अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि दस्तावेजों को समर्पित करने हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही, यदि अभ्यर्थी उपरोक्त मद संख्या 1 में वर्णित दस्तावेज, सत्यापन हेतु निर्धारित दिन को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई अगली सूचना के निरस्त कर दी जाएगी।
12. सभी प्रकार के मामलों में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल, पटना का निर्णय अंतिम होगा।
13. जाति प्रमाण पत्र इत्यादि का अपेक्षित प्रोफार्म रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल, पटना के आधिकारिक वेबसाइट www.rrcer.gov.in पर उपलब्ध है।
14. मानवीय भूल के कारण हुई किसी भी त्रुटि को सुधारने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित है।
15. किसी भी कानूनी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र केवल पटना होगा।

INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES:

1. Candidate must bring the following certificates in original along with one set of self attested photo copies of all the documents: (a) Mark sheets/Certificate of all educational plus technical qualifications (10th class and onwards) from recognized board/university (b) Date of birth certificate (10th or Matric). (c) Caste certificate for SC/ST/OBC candidates issued by competent authority. OBC candidates are required to produce caste certificate also indicating non-creamy layer status applicable for service under Government of India failing which they shall not be given benefits against OBC vacancies. (d) Disability certificate in prescribed format issued by competent authority in case of PwBD candidates. (e) Half portion of admit card of CBT examination and half portion of admit card of CBAT examination also the candidates of ALP & ASM. (f) Four identical passport size recent photographs.
2. No request for change of center/date & time of Document Verification will be entertained.
3. In order to avoid shortfall in the final panel due to absenteeism, rejection etc., 50% extra candidates are being called over and above the actual number of notified vacancies community-wise. Hence, candidates may please note that merely being document verification and medical examination does not confer any right to them for empanelment. The size of the panel will be equal to the number of vacancies only and will be based strictly on the merit of CBT exam and in the case of ALP & ASM post will be based strictly on the combined merit of CBT & CBAT exam. It should also be noted that candidates called as 50% extra in UR will go to the top of their community-wise merit in the event they are not empanelled in UR merit. So, the candidates of main merit of OBC/SC/ST category may also not get selected to the extent of such movement of candidates from 50% extra UR merit.
4. Those candidates whose documents are found in order in verification, will be sent for prescribed medical examination on the next working day to the Railway Hospital in Danapur, Pt. Deen Dayal Upadhyay, Dhanbad, sonpur and Samastipur Divisions. Hence they should come prepared to stay for one or more days on their own expenses. If a candidate is not found fit for the required medical standard, his/her candidature shall be cancelled.
5. Candidates are directed to ensure that certificates produced by them do not have any discrepancies with respect to name, father's name, date of birth etc, failing which candidature will be liable to be cancelled.
6. Candidates may note that if they are found ineligible at any stage of recruitment process or declaration given in application form is found to be incorrect or incomplete, the Railway Administration shall have the right to reject the candidature of such candidate(s) or to terminate his/her service even if appointed.
7. Any form of canvassing will disqualify the candidate.
8. If any candidate is found to have indulged in any malpractices such as impersonation or using unfair means at any stage of the selection process, the candidature of such candidate will be terminated and severe disciplinary action will be taken.
9. The final selection of the candidates will be subject to the verification of identity, all original certificates & satisfying all criteria prescribed the post including Medical Examination/Standards, as applicable. Merit of selected candidates will be based on marks obtained in the CBT examination. In the case of ALP & ASM post will be based on marks obtained in the CBT & CBAT.
10. In the event of empanelment, the candidates are likely to be posted in any Division of East Central Railway as per administrative requirement.
11. Candidates may please note that no extra time shall be given for submission of certificates. Further, failure to produce original certificates as stated in tem no. 1 above on the day of document verification shall result in cancellation of his/her candidature without any further notice.
12. Decision of Railway Recruitment Cell, East Central Railway, Patna in all matters shall be final.
13. The requisite performa of caste certificate etc. are available on RRC ECR's official website www.rrcer.gov.in
14. Railway Administration reserves the right to rectify any inadvertent error at any stage.
15. For any legal dispute, jurisdiction will be Patna only.